

13.1.18

अभिमुख अस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित ।
विगत फई तिथियों से उभय पक्ष अनुपस्थित नहीं
हो रहे हैं । बापेट अवेजित काल के अवसर जब
जावत नहीं किया गया । घागा प्रगये, कामदरा कश
भी इनके बीच आपसी विवाद के कारण शांति भंग
होने संबंधी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है ।
ह. माह की समयवधि समाप्त हो चुकी है ।
अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

अभिमुख
उत्तराधिकार
अभिमुख (गुमला)